हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री करण सिंह राठौड़
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

रामनिरंजन गोड़
महासचिव , मो. 094144-08499

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. यांगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
कैलाश राजपुरोहित
मो. 8963095311

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 67519-68296 दिनांक : 19.12.2023

श्रीमान नरेन्द्र मोदी साहेब,
यशस्वी प्रधानमंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली– 110001

विषयः– कुण्ठित जातिवादी आई.पी.एस. अधिकारी श्री रवि प्रकाश मेहरडा को राजस्थान का पुलिस महानिदेशक नहीं बनाये जाने बाबत।

मान्यवर,

विनम्र निवेदन है कि राजस्थान राज्य में कार्यरत आई.पी.एस. अधिकारी श्री रवि प्रकाश मेहरडा कट्टर जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त है। और अपने अनेक जातिवादी कुकृत्यों के कारण लगातार विवादित रहे है। श्री मेहरडा ने अतिरिक्त महानिदेशक (सिविल राइटस) के पद पर रहते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, श्रीमान प्रमुख गृह सचिव और श्रीमान पुलिस महानिदेशक के लिखित आदेशों की अवहेलना करते हुये एक अविधिक परिपत्र जारी करके राजस्थान में एट्रोसिटी एक्ट के अधीन एफ.आई. आर. दर्ज होते ही गिरफ्तारी को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया, जिससे प्रदेश के सैकड़ों निरपराध लोगों को अविधिक यंत्रणाओं का दंश झेलना पड़ा। समता आन्दोलन द्वारा केन्द्र सरकार को इनके विरूद्ध शिकायत करने पर केन्द्र सरकार ने राजस्थान के तत्कालीन मुख्य सचिव को नियमानुसार प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिये गये थे लेकिन श्रीमान अशोक गहलोत की सरकार ने वोटों की राजनीति के चलते इन्हें अविधिक संरक्षण दिया। इसके बाद समता आन्दोलन द्वारा श्री मेहरडा को नियमानुसार दण्डित करने की याचना सहित एक याचिका संख्या (7633/2020) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर की जिसमें नोटिस जारी हो चुके है लेकिन श्रीमान अशोक गहलोत की सरकार के एडवोकेट जनरल महोदय द्वारा दुष्प्रयास करके इस याचिका में आगे सुनवाई नहीं होने दी जा रही है। श्री मेहरडा द्वारा सामान्य और ओबीसी वर्ग के अनेक निरपराध लोगों को एट्रोसिटी एक्ट के अधीन अविधिक रूप से गिरफ्तार करवाने के लिए अपने पद का दुरूपयोग किया गया, ऐसे ही एक प्रकरण में राज्य सरकार की एक महिला अधिकारी को समता आन्दोलन के हस्तक्षेप के बाद अविधिक गिरफ्तारी से बचाया जा सका था।

समता आन्दोलन द्वारा विगत विधानसभा चुनावों के दौरान श्री अशोक गहलोत की जातिगत राजनीति को उजागर करने वाली करतूतों को कमबद्ध करते हुये एक पैम्पलेट वितरित करवाया गया था जिसे सोशल मीडिया पर भी लाखों लोगों ने अग्रेषित किया। इस पैम्पलेट के बिन्दु संख्या–6 में उपरोक्त श्री मेहरडा की करतूतों और इन्हें श्री गहलोत द्वारा दिये गये अविधिक संरक्षण का भी उल्लेख किया गया था। इस पैम्पलेट की प्रति संलग्न है।

पिछले चार–पांच दिनों से सोशल मीडिया पर और अखबारों में यह खबर चल रही है कि श्री रविप्रकाश मेहरडा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री से मिलकर स्वयं को राज्य का पुलिस महानिदेशक बनवाने का प्रयास कर रहे है। हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि श्री रविप्रकाश मेहरडा जैसे कट्टर जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति को राज्य का पुलिस महानिदेशक नहीं बनाया जाये। यदि राजनैतिक मजबूरी से किसी अजा वर्ग के ही आई.पी.एस. को राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाना आवश्यक हो तो कृपया अजा वर्ग के अन्य किसी समतावादी अधिकारी को पुलिस महानिदेशक बनाने का अनुग्रह करे। ताकि राज्य के सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के करोड़ों नागरिकों को अविधिक जातिगत प्रताडनाओं से बचाया जा सके। सादर धन्यवाद सहित।

भवदीय,

पाराशर नारायण
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः– सभी सम्मानीय सांसदों को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।